रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1978/श्रावण 12, 1900

No. 373] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1978/SRAVANA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1978

का० आ० 486(अ).—18ई०/आई० डी० आर० ए/78 केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 852(ई)/18क/आई०डी०आर०ए०/77 तारीख 23 दिसम्बर, 1977 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को मैसर्स नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्टर के पास फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 169	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210(1)	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाईल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 217	स धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 219	यथोक्त
धारा 224	स धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि लेखा-परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
धारा 225	यथोक्त
धारा 293	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे

[सं० फा० 2/44/77-सी० यू० सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1978

S.O. 486(E)/18-E/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 852(E)/18-AA/IDRA/77 dated the 23rd December, 1977, issued under section 18-AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Body of Persons to take over the management of Messrs. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18-AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 219	Do.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Do.
Section 293	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

[File No. 2/44/77-CUC]

आदेश

का० आ० 487(अ).—18 एए/आई० डी० आर० ए०/78. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 852 (ई)/18एए आई० डी० आर० ए०/77, तारीख 23 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "सदस्य" शीर्षक के अधीन :—

(1) क्रम संख्या 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. श्री एस० के० भट्टाचार्य,
सहायक महाप्रबन्धक,
भारत का औद्योगिक वित्त निगम,
4-मैंगोलेन, कलकत्ता-700001"।

(2) क्रम संख्या 5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6. श्री ए० चौधरी,
सचिव,
श्रम विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता-700001"।

[सं० का० 2/44/77-सी० यू० सी०]
पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 487(E)/18-AA/IDRA/78.—In exercise of the powers conferred by section 18-AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 852(E)/18-AA/IDRA/77 dated the 23rd December, 1977, namely :—

In the said Order under the heading "Members" :—

(1) for serial No. 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"4. Shri S. K. Bhattacharyya,
Assistant General Manager,
Industrial Finance Corporation of India,
4, Mangoe Lane,
Calcutta-700001."

(2) after serial No. 5, the following serial number shall be inserted, namely :—

"6. Shri A. Choudhury,
Secretary,
Department of Labour,
Government of West Bengal,
Calcutta-700001."

[File No. 2/44/77-CUC]
P. C. NAYAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978